बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

बिहार सरकार

पत्रांक–8 अंकेक्षण (10) 12/2024...................... दिनांक– ..../2026

प्रेषक,

डॉ0 सुनील कुमार ठाकुर,
संयुक्त निदेशक (पशु स्वा0)

सेवा में,

निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना।
सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार।
परियोजना निदेशक, बी0एल0डी0ए0, पटना।
सहायक, सूचना एवं प्रसार, बिहार।
सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।

विषयः– **सी0ए0जी0 का वित्तीय वर्ष 2024–25 के 'राज्य का वित्त' की कंडिका 3.6.1 एवं 3.6.2 का अनुपालन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 1397/वि0 दिनांक 09.02.2026 की छायाप्रति संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि पत्र द्वारा परिचारित दिशा–निर्देश का अनुपालन दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित किया जाये।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/–
संयुक्त निदेशक (प0स्वा0)

ज्ञापांक–8 अंकेक्षण (10) 12/2024....1124(वि0) पटना–15, दिनांक–...13/...3..../2025

प्रतिलिपि :– विभागीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

12/3/26
संयुक्त निदेशक (प0स्वा0)

संयुक्त सचिव (R)

पत्र सं०-एम-4-03/2026..1397../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

1 FEB 2026
829

प्रेषक,

अजय कुमार ठाकुर,
संयुक्त आयुक्त ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक-09-02-2026

विषय :- **सी०ए०जी० का वित्तीय वर्ष 2024-25 के 'राज्य का वित्त' की कंडिका 3.6.1 एवं 3.6.2 का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-13592 दिनांक-19.12.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि सी०ए०जी० का वर्ष 2024-25 के 'राज्य का वित्त' का प्रतिवेदन प्रारूप की कंडिका 3.6.1 एवं 3.6.2 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 252 पी०डी० खाता प्रशासकों में से केवल 16 पी०डी० खाता प्रशासकों तथा 398 पी०एल० खाता प्रशासकों में से केवल 33 पी०एल० खाता प्रशासकों द्वारा जमा शेष का मिलान एवं सत्यापन किये जाने का तथ्य संज्ञानित कराया गया है। इस क्रम में पी०डी०/पी०एल० खाता की शेष राशि का आवधिक समाशोधन नहीं किये जाने एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले पी०डी०/पी०एल० खाता में अव्ययित शेष राशि को समेकित निधि में हस्तांतरित नहीं किये जाने तथा वित्तीय वर्ष के अंत में पी०डी०/पी०एल० खाता में राशि पार्क करने की स्थिति का उल्लेख करते हुये इसे लोकधन के दुरूपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन के जोखिम को बढ़ाने का कृत्य दर्शाया गया है ।

2. वित्तीय अनुशसान के परिप्रेक्ष्य में जमा प्रशासकों द्वारा पी०डी०/पी०एल० खाता की शेष राशि का आवधिक समाशोधन, पी०डी०/पी०एल० खाता की समीक्षा कर अव्ययित राशि को समेकित निधि को हस्तांतरण करने एवं वित्तीय वर्ष के अंत में पी०डी०/पी०एल० खाता में राशि पार्क नहीं किये जाने से संबंधित बिहार कोषागार संहिता, 2011 के प्रावधान प्रसंगवश निम्नवत अवलोकनीय हैः-

(i) <u>नियम 353(ख)</u>-गत वर्ष के लिये कोषों में जमा शेषों के सत्यापन के बाद उन्हें महालेखाकार को यथाशीघ्र भेजने के लिये सभी स्थानीय निधियों के प्रशासक प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक कोषागार पदाधिकारी को उनकी स्वीकृति का प्रमाण-पत्र भेजेंगे।

(ii) <u>नियम 349(2)(iv)</u>-कोषागार पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह मासिक लेखा के साथ पी०एल० खाता का धन ऋण ज्ञापन महालेखाकार को प्रेषित किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अंत में प्रत्येक वर्ष के लिये पी०एल० खातों में जमा शेषों के सत्यापन के बाद उन्हें सत्यापन सहित महालेखाकार को भेजने के लिये जमा प्रशासक द्वारा 30 अप्रैल तक कोषागार पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii) <u>नियम 349(2)(viii)</u>-दिनांक-01.04.2019 के पूर्व खोले गये सभी पी०एल०/पी०डी० खाते को CFMS व्यवस्था के अंतर्गत संधारण की तिथि default रूप से 01.04.2019 माना जायेगा एवं पी०एल०/पी०डी० खाते में जमा अप्रयुक्त राशि पाँच क्रमिक वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत हो जायेगी।

अवर सचिव कोषांग
पत्र सं0........
17 FEB 2026
215
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

(iv) <u>नियम-176</u>-उपगत सभी व्यय की निकासी तुरंत करके उनका भुगतान अवश्य कर देना चाहिए और जब तक तत्काल भुगतान हेतु आवश्यक न हो, कोषागार से राशि की निकासी नहीं की जानी चाहिए ।

(v) <u>नियम-177</u>-मांगों की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों को व्ययगत हो जाने से बचाने के लिए कोषागार से राशि की निकासी नहीं की जानी चाहिए । यदि विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अधीन अग्रिम राशि की निकासी की जाती है, तो इस प्रकार निकासी की गयी राशि में से खर्च नहीं की गई राशि को अगले विपत्र में या चालान के साथ अल्पकालिक निकासी (शॉर्ट ड्रावल) द्वारा कोषागार में शीघ्रताशीघ्र वापस कर देना चाहिए, और किसी भी तरह जिस वित्तीय वर्ष में उस राशि की निकासी हुई हो, उसके अंत के पहले ही कर देना चाहिए । निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि आकस्मिक विपत्र पर निकासी की गयी राशि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा और खर्च नहीं हुई राशि वर्ष के 31 मार्च के पहले कोषागार में भेज दी जाएगी।

अतएव निदेशानुसार अनुरोध है कि पी0डी0/पी0एल0 खाता के संधारण के क्रम में बिहार कोषागार संहिता के संदर्भित प्रावधानों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार ठाकुर)
संयुक्त आयुक्त ।

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

ज्ञापांक—4 (5) विविध (अंकेक्षण)—01/2026—991 /पटना — 15, दिनांक—23/02/26

प्रतिलिपि — निदेशक, पशुपालन/मत्स्य/गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० — यथोक्त।

(धर्मवीर प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

निदेशक पशुपालन कोषांग, बिहार, पटना
पत्र प्राप्ति 24 FEB 2026 1523